अनुच्छेद 101(4)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

एक निर्दलीय **सांसद** ने लंबे समय तक अनुपस्थिति रहने के कारण अपनी **लोकसभा सीट** के रिक्त घोषित किये जाने की चिंता को लेकर **उच्च न्यायालय** का रुख किया है।

अनुच्छेद 101(4):

- भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 101** संसद **में सीटों की रिक्तता, निरर्हता और दोहरी सदस्यता** से संबंधित है।
- संविधान के **अनुच्छेद 101(4)** के अनुसार, यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य **साठ दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना** उसके सभी अधिवेशनों से **अनुपस्थित** रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा।
  - हालाँकि, साठ दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या **निरंतर चार से अधिक दिनों के लिये स्थगित** रहता है।
  - इस प्रावधान का उद्देश्य **विधायी कार्रवाई में सांसदों की सक्रिय सहभागिता** सुनिश्चित करना है।
- कोई स्थान अथवा सीट **तभी रिक्त होती है जब सदन औपचारिक रूप से** मतदान के माध्यम से उसे रिक्त घोषित कर दे, **स्वतः नहीं।**
  - राज्यसभा सांसद **बरजिंदर सिंह हमदर्द को निरंतर अनुपस्थिति रहने के कारण वर्ष 2000 में अनुच्छेद 101(4)** के तहत अनर्ह घोषित कर दिया गया था।
- **अवकाश मांगने की प्रक्रिया:**
  - सांसदों को **सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति** से अवकाश मांगना होता है, जो **सदन को समीक्षा करके सूचना देती है।** इसके पश्चात् सदन **अनुमोदन या अस्वीकृति पर मतदान** करता है।
  - एक बार में अधिकतम **59 दिनों** के लिये अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा सांसदों द्वारा **विस्तारित अनुपस्थिति के लिये पुनः अनुरोध** किया जाना होता है।

और पढ़ें: [प्रमुख संवैधानिक संशोधन: भाग 1](#)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/article-101-4-